

राष्ट्रीय लोक अदालत के नियम
व्यवहार न्यायालय, ...

(विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 की धारा 19 एवं नलम विनियम, 2000 से उत्पन्न)
 नालसा के निर्देश पर जिला विधिक सेवा प्राधिकार

वाद संख्या आ. अ. - 213/16 (गोहा 44/16)

..... रुणा देवी

याची/वादी/परिवारी
 प्रतिवादी/प्रत्यर्थी

विरुद्ध

..... तपेरा राम बख्श

उपस्थित पीठ के न्यायिक सदस्य का नाम : S.D.J.M. Udalkishung

गैर न्यायिक सदस्य का नाम :

अधिनिर्णय

पक्षकारों के बीच विवाद को राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष अवधारण के लिए निर्दिष्ट किया गया है और पक्षकारों ने विवाद/मामले को आपसी समझौते के द्वारा सुलझा लिया है। अतः समझौते की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :-

13/7/15 को निर्णय हुआ कि राष्ट्रीय लोक अदालत के समक्ष उपस्थित पक्षकारों ने आपसी समझौते के द्वारा विवाद/मामले को सुलझा लिया है। अतः समझौते की शर्तों के अनुसार निम्नलिखित अधिनिर्णय पारित किया जाता है :-

पक्षकारों को सूचित किया जाता है किसी पक्षकार द्वारा यदि न्याय शुल्क का भुगतान किया गया है तो न्यायशुल्क उस पक्षकार को वापस किया जायेगा।

याची/वादी/परिवारी के हस्ताक्षर दिनांक सहित	प्रतिवादी/प्रत्यर्थी के हस्ताक्षर
<u>रुणा देवी</u>	<u>तपेरा राम बख्श</u>

न्यायिक सदस्य के हस्ताक्षर दिनांक सहित	1. सदस्य के हस्ताक्षर दिनांक सहित
<u>S.D.J.M. Udalkishung</u>	2. सदस्य के हस्ताक्षर दिनांक सहित